(a) whether elections to the Panchayati Raj have been conducted in all the States;

(b) if not, the names of the States where such elections have not been held so far; and

(c) Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI K. YERRANNAIDU): (a) and (b) Panchayat elections have been completed in almost all the States except Bihar and Goa (at Zila Parishad level). Among the Union Territories, Panchayats elections are due in Lakshadweep and Pondicherry.

(c) Holding of elections to Panchayats is the responsibility of States/UT Governments. They are required to complete the election process in respect of Panchayats within such time as is absolutely necessary for completing the same.

गुजरात में पेयजल का अभाव

875. **श्री गोपालसिंह जी० सोलंकी:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में अनुमानतः कितना क्षेत्र सूखा-प्रवण है और जिसमें लगातार पेयजल का अभाव बना हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य के कच्छ, बनासकांठा और सुरेन्द्रनगर जिलों में पेयजल की उपलब्धता के संबंध में कोई उच्च स्तरीय जांच कराई है;

(ग) क्या पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में कोई व्यापक योजना तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या उक्त योजना को कार्यान्वित कर दिया गया है; और

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त जिलों के लिए राज्य सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है और आज की तारीख तक प्राप्त उपलब्धियों का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजरापु येरन्नायडु): (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Remittance of Pollution Cess by the Port Trusts

876. DR. MOHAN BABU: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether port trusts are retaining pollution cess worth Rs. 20.39 crores out of Rs. 25.53 crores collected; and

(b) if so, the action taken against Director General, Shipping for failing to effectively monitor the collection and remittance of cess by the port trusts?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI T.G. VENKATRAMAN): (a) All the major ports have collected an amount of Rs. 5.66 crores and remitted an amount of Rs. 5.35 crores after retaining collection charges.

(b) In view of the above, does not arise.

कांडला पत्तन न्यास द्वारा लाभांश की अदायगी न किया जाना

877. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय को 1994-95 से कांडला पत्तन न्यास द्वारा लाभांश की अदायगी नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) कांडला पत्तन न्यास के पास 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के लिए बकाया लाभांशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) बकाया राशि को वसूल करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी०जी० वेंकट-रामन): (क) महापत्तन न्यास, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के तहत स्वायत्तशासी निकाय हैं, अतः उन्हें सरकार को किसी लाभांश का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त को मद्दे नजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।